



सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005 केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर-29, गृडगांव, हरियाणा-122007

कन्द्राय कायालय, 'सादाामना', प्लाट न.2, सक्टर-29, गुडगाव, हार्याणा-122007 Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007

PGCIL/R/T/22/00011 & 00062

दिनांक: 17 March, 2022

Shri Sandeep Baliyan

1032, Village and post Shoram, Shahpur, Muzaffarnagar-251318 Uttar Pradesh

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 15 February, 2022 तथा 21 February, 2022 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्रं मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-। मे संलग्न है।

यदि आप केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केंन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुड़गांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा। ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

and L

(ए. जगन्नाथ राव)

वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

Sub: Reply to RTI Request No. 00011 & 00062 of Shri Sandeep Baliyan, Muzaffarnagar, <u>Uttar Pradesh</u>

Information sought:	Reply:
I am Sandeep Baliyan working with a green hydrogen company. My work is related to land and Liaison that is why we need information of all ISTS substation (location, contact details) so that we can install hydrogen plants accordingly. We are unable to find details regarding ISTS so that we are facing issues. Kindly provide details regarding all ISTS in India.	Sharing information on locations of all ISTS substations may create security concerns to National Electricity Grid, which is a part of critical infrastructure of country. Therefore, disclosure of such information is exempted under section 8 (1)(a) of the RTI Act, 2005,

